रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D.L.(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अक्तूबर 17—अक्तूबर 23, 2004, शनिवार/आश्विन 25—कार्तिक 1, 1926
No. 21] NEW DELHI, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2004, SATURDAY/ASVINA 25—KARTIKA 1, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2004

का०नि०आ० 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा आवासों का आबंटन (रक्षा सेवा में सिविलियनों के लिए आयुध कारखाना वास सुविधा), नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा सेवा में आयुध और आयुध उपस्कर कारखानों तथा रक्षा सेवाओं के सहयोजित स्थापनों के सिविलियनों को उनके लिए विनिर्दिष्टतया सन्निर्मित आवासीय क्वार्टरों के आबंटन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा आवासों का आबंटन (रक्षा सेवा में सिविलियनों के लिए आयुध कारखाना वास सुविधा) नियम, 2003 है।

(2) ये रक्षा सेवाओं में आयुध और आयुध उपरकर कारखानों तथा उनके सहयोजित स्थापनों मे नियोजित उन सभी सिविलियनों को, जिन्हें रक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों में से वेतन संदत्त किया जाता है, लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी आवास का कब्जा लेने के लिए किसी अनुज्ञप्ति का मंजूर किया जाना अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटन वर्ष" से 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला प्रत्येक वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो आबंटन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "आबंटन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक या महाप्रबंधक का अस्थायी भारसाधक प्राधिकारी, या

(ii) अपर महाप्रबंधक (प्रशासन) या अपर महाप्रबंधक (कार्मिक), या

(iii) संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) या संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक), या

(iv) उप महाप्रबंधक (प्रशासन) या उप महाप्रबंधक (कार्मिक), यदि उन्हें आयुध कारखाना या आयुध उपस्कर कारखाना महाप्रबंधक द्वारा आबंटन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्टतया प्राधिकृत किया जाता है;

(घ) "पात्र कार्यालय" से आयुध कारखाने और आयुध उपस्कर कारखाने तथा उनके सहयोजित स्थापन; और सैनिक इंजिनियरी सेवा अभिप्रेत है जहां आयुध कारखाने या आयुध उपस्कर कारखाने के लिए अनन्य रूप से आशयित है;

(ङ) "परिलब्धियों" से मूल नियमों के नियम 45ग में यथा परिभाषित मूल वेतन और विशेष वेतन अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण :— ऐसे ऑफिसर की दशा में, जो निलंबनाधीन है, उसके द्वारा आबंटन वर्ष के पहले दिन लिया गया मूल वेतन जिसमें उसे निलंबित किया गया, है या यदि उसे आबंटन वर्ष के पहले दिन निलंबित किया गया है उससे ठीक पूर्व उसके द्वारा लिया गया मूल वेतन, मूल वेतन समझा जाएगा;

(च) "कुटुंब" से यथास्थिति पत्नी या पति और बालक, सौतेले बालक वैध रूप से दत्तक बालक, माता-पिता, भाई अथवा बहन अभिप्रेत हैं जो साधारण रूप से आफिसर के साथ रहते हैं और उस पर अश्रित हैं ;

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है जब तक कि अन्यथा अपेक्षित हो;

(ज) "अनुज्ञप्ति फीस" इन नियमों केअधीन किसी आबंटित आवास की बाबत मूल नियमों के उपबंध के अनुसार मासिक रूप से संदेह धनराशि अभिप्रेत है;

टिप्पण —सरकारी वास सुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रभारण से संबंधित चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकार किए जाने पर केन्द्रीय सरकार ने तीन वर्ष पश्चात् दरों के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन साधारण पूल में उपलब्ध आवासीय वास सुविधा के लिए अनुज्ञप्ति फीस की समान दरें विहित कर दी हैं। अनुज्ञप्ति फीस का प्रभारण आयुध कारखानों और आयुध उपस्कर कारखानों की सम्पदा में सरकारी वास सुविधा के अधिभोगियों को समान दर पर समान रूप से लागू होगा। सरकार द्वारा नियत वास सुविधा की विभिन्न टाइपों के लिए अनुज्ञप्ति फीस की समान दरें परिशिष्ट-1 में दी गई हैं। वास सुविधा के आवासीय क्षेत्र की संगणना करने का सूत्र परिशिष्ट-2 में दिया गया है। आवासों के अनुसरक्षण प्रभार, सेवा कर और सफाई कर जैसी सम्मिलित सेवाओं के लिए संदेय कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

(झ) "पूर्विकता तारीख" से किसी प्राधिकारी की पूर्विकता तारीख की बाबत निवास वास की उस टाइप के लिए जिसके लिए वह पात्र है, वह पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जिससे वह उस वेतनमान में लगातार मूल वेतन ले रहा है किसी विशिष्ट टाइप के लिए सुसंगत है।

टिप्पण 1 — क्वार्टरों की विशिष्ट टाइप के लिए आवेदकों की पारस्परिक ज्येष्ठता नियत करने के लिए सभी आवेदकों की पूर्विकता की तारीख पारस्परिक कालानुक्रम में व्यवस्थित की जाएगी।

टिप्पण 2— पारस्परिक पूर्विकता तारीखें किसी विशिष्ट वेतन की रेंज में न्यूनतम वेतन लेने की वास्तविक तारीख के प्रति निर्देश से नियत की जाएगी;

टिप्पण 3— वेतन रेंज में मूल वेतन जिसमें मूल नियम 45ग में यथापरिभाषित विशेष वेतन सम्मिलित है समाविष्ट होगा और जिसमें कोई अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं।

टिप्पण 4— जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही है वहां उनके बीच की ज्येष्ठता मूल वेतन की राशि से अवधारित की जाएगी, उच्चतरमूल वेतन पाने वाले आफिसर को कम मूल वेतन पाने वाले आफिसर से अग्रता दी जाएगी; और जहां मूल वेतन बराबर हो वहां उनके द्वारा की गई सेवा अवधि द्वारा अवधारित की जाएगी; तथा जहां उनके द्वारा सेवा में आने की तारीख एक ही हो वहां उनकी आयु या जन्म की तारीख द्वारा अवधारित की जाएगी।

टिप्पण 5— क्वार्टरों की आइप "I" और टाइप "II" की दशा में जब एक से अधिक आवेदकों की एक ही पात्रता है तब निम्नलिखित क्रम में आबंटन के लिए पूर्विकता दी जाएगी, अर्थात् :—

(अ) नियमित नियुक्ति में कुल सेवा अवधि के आधार पर;

(आ) यदि एक से अधिक आवेदक एक जैसी स्थिति में हों जैसा की मद (क) में यथा उल्लिखित सेवा की कुल अवधि है, वहां उस आवेदक को अग्रता दी जाएगी जो आयु में बड़ा है।

(ञ) "**निवास**" से उस आबंटन प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तत्समय कोई निवास अभिप्रेत है जिसको ये नियम लागू होते हैं;

(ट) "**एक ही टाइप के क्वार्टर**" से एक ही टाइप के क्वार्टर अभिप्रेत हैं जिनका फर्श क्षेत्र, अनुज्ञप्ति फीस और सुविधाएं एक जैसी ही हैं।

(ठ) "**केन्द्र**" से किसी आयुध कारखाने या आयुध उपस्कर कारखाने की अधिकारिता के अधीन सम्पदा अभिप्रेत है।

(ड) "**सिकमी देना**" में किसी आबंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किराये का संदाय करने पर अथवा संदाय किए बिना वास सुविधा का सहभोग करना सम्मिलित है;

(ढ़) "**सहभोग करना**" से आबंटिती द्वारा उसे आबंटित निवास स्थान का केवल अपने निकट नातेदारों और सरकारी वास सुविधा के लिए पात्र केन्द्रीय सरकार के सेवकों के साथ सहभोग करना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण :— आबंटिती अधिकारी से उस अधिकारी और क्वार्टर में उसके साथ रहने वाले उसके परिवार की पूरी विशिष्टयां और वास सुविधा के सहभोगकर्ता और उसके कुटुम्ब की पूरी विशिष्टियों की सूचना देते हुए आबंटन प्राधिकारी को पूर्व सूचना भेजने की अपेक्षा की जाती है।

(ण) "**अस्थायी स्थानांतरण**" से ऐसा स्थानान्तरण अभिप्रेत है जिसमें तीन मास से अनधिक की अवधि अर्न्तवलित है;

(त) "**स्थानान्तरण**" से एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को स्थानान्तरण अभिप्रेत है।

(थ) "**टाइप**" से किसी आफिसर के संबंध में निवास स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है, जिसका वह पात्र है।

3. निवासों की संरचनाओं में परिवर्धन या परिवर्तन—

आबंटितियों के अनुरोध पर निवासों में संरचनात्मक प्रकृति का कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन यदि आवश्यक समझे जाएं तो एक मानक रीति से इस प्रकार के सभी निवासों में किए जा सकेंगे और उसके लिए आबंटितियों से ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या प्रभार वसूल नहीं किए जा सकेंगे।

4. निवासों के लिए जल, विद्युत और अन्य प्रभार—

नियमों और भाड़ा विनियमों तथा सेना इंजीनियरी सेवा के विनियमों के अनुसार क्वार्टरों के आबंटितियों द्वारा जल और विद्युत प्रभार संदेय होंगे। इसी प्रकार फर्नीचर, विद्युत साधित्र, वातानुकूलक साधित्रों आदि के लिए भी आबंटितियों से यदि विद्यमान नियमों के अनुसार उन्हें ये दिए जाते हैं, वसूल किए जा सकेंगे।

5. आवास क्षेत्रों का अवधारण करने के लिए मापमान—

क्वार्टरों का आवास क्षेत्र परिशिष्ट—2 में यथा उपदर्शित होगा तथापि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां क्वार्टरों का आवास क्षेत्र सुसंगत टाइप के लिए विनिर्दिष्ट निम्नतम क्षेत्र से कम हो या अधिकतम विनिर्दिष्ट क्षेत्र से कुछ कम हो। ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति फीस वास सुविधा के टाइप के वर्गीकरण के आधार पर और निम्नतम आवास क्षेत्र पर आधारित उच्चतर दर पर अथवा क्वार्टर के उच्चतर आवास क्षेत्र के आधार पर वसूल की जाएगी और ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति फीस निम्नतम आधार पर नियत की जाएगी तथा ऐसी विसंगतियों को संबंधित केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सुलझाया जाएगा और महाप्रबंधक द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा।

6. अवर्गीकृत और घटिया वास सुविधाओं के लिए अनुज्ञप्ति फीस

परिशिष्ट—1 में विहित अनुज्ञप्ति फीस केवल वर्गीकृत और मानक आवास सुविधाओं पर लागू होगी। अवर्गीकृत और घटिया वास सुविधाओं की बाबत अनुज्ञप्ति फीस की वसूली समय-समय पर यथा संशोधित संपदा निदेशालय, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों/परिपत्रों द्वारा शासित होगी।

7. कर्तव्य स्थल पर गृहस्वामी अधिकारियों और वास सुविधाओं को रखने के लिए अनुज्ञेय अन्य अधिकारियों या अनुकल्पी वास सुविधाओं के आबंटितियों की बाबत क्वार्टरों के लिए अनुज्ञप्ति फीस—

उन कर्यस्थलों पर गृह स्वामी अधिकारियों और उन अधिकारियों से जिन्हें वास सुविधा रखने के लिए अनुज्ञेय किया गया है अथवा अनुकल्पी वास सुविधा आबंटित की गई है, अनुज्ञप्ति फीस की वसूली से संबंधित विषय मूल नियमों या संपदा निदेशालय शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों में यथा उपबंधित होंगे।

8. सम्मिलित अनिवार्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के आबंटन की पूर्विकता

आबंटन प्राधिकारी सम्मिलित अनिवार्य सेवाओं का प्रवर्ग बनाएगा और अग्निशमन, सुरक्षा, चिकित्सा, यांत्रिक और विद्युत अनुरक्षण, विद्युत केन्द्र और उपरि तार बिछाने वाले कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक, जल प्रदाय तथा अन्य, टेलीफोन अनुरक्षण से संबंधित टेलीफोन आपरेटर शिक्षक और कोई अन्य कार्मिक प्रवर्ग जो समय-समय पर आयुध कारखाना बोर्ड के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा परिभाषित किए जाएं।

आबंटन प्राधिकारी (संपदा स्थापन नियंत्रक प्राधिकारी) पहले सम्मिलित अनिवार्य प्रवर्ग के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन करेगा। (सभी स्थापन सम्मिलित) जैसा कि इसके पूर्व परिभाषित किया गया है और फिर साधारण प्रवर्ग के कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित करेगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से प्रत्येक स्थापन के अधिभोगियों को अनुपाततः शेष क्वार्टरों को आबंटन या विभाजन करेगा।

9. अनिवार्य सेवा प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का आबंटन, क्वार्टरों के आबंटन की प्रक्रिया तथा बिना बारी के क्वार्टरों के आबंटन की महाप्रबंधक की शक्ति—

स्थापन के प्रत्येक अधिभोगी को आबंटित या विभाजित क्वार्टरों में से स्थापन का अध्यक्ष पहले अपने प्रवर्ग की आवश्यकता के अनुसार यदि कोई हो, उसमें से एक भाग को युक्तियुक्त कोटा के रूप में आबंटित करेगा और शेष क्वार्टरों को अन्य कार्मिकों को साधारण ज्येष्ठता के अनुसार आबंटित करेगा। जहां तक कारखाना स्थापन का संबंध है, महाप्रबंधक सम्मिलित अनिवार्य सेवा कार्मिकों में से प्रशासनिक आधार पर बिना बारी के महाप्रबंधक के वैयक्तिक सहायक और रोकड़िया को आबंटित कर सकेगा। उनके पास उपलब्ध शेष क्वार्टरों को पूर्विकता सूची के अनुसार अन्य कर्मचारियों को आबंटित किया जाएगा। प्रत्येक स्थापन को उपलब्ध क्वार्टरों की कुल संख्या को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए कारखाना आदेश या कार्यालय आदेश में प्रकाशित किया जाना चाहिए। क्वार्टरों की संख्या में किसी परिवर्तन को इसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा।

संपदा नियंत्रक, कारखाना का महाप्रबंधक किसी स्थापन के क्वार्टरों के आबंटन के लिए अर्थात् संबद्ध कारखाना, महानिदेशालय क्वालिटी बीमा (निरीक्षणालय) और स्थानीय लेखा कार्यालय को एक मात्र आबंटन करने का प्राधिकारी है।

10. पति और पत्नी को क्वार्टरों का आबंटन, उस दशा में अधिकारियों की पात्रता जो एक दूसरे से विवाहित हैं—

(1) किसी ऐसे प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन आवास आबंटित नहीं किया जाएगा यदि, यथास्थिति, उसके पति या पत्नी को आवास पहले से ही आबंटित है, जब तक कि वह ऐसे आवास को अभ्यर्पित नहीं कर देता है,

परंतु यह कि यह उप नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति या पत्नी,

(क) विभिन्न केन्द्रों में तैनात हैं;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक रूप से रह रहे हैं।

(2) जहां ऐसे दो प्राधिकारी उसी संपदा में इन नियमों के अधीन आबंटित पृथक आवासों के अधिभोगी हैं एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, वहां वे विवाह के एक मास के भीतर एक आवास को अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) यदि ऐसा आवास उपनियम (2) की अपेक्षानुसार अभ्यर्पित नहीं किया जाता है तो निचले टाइप के आवास के आंबटन को उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा और यदि आवास एक ही प्रकार के हैं तो उनमें से एक आवास का आबंटन जैसा आबंटन प्राधिकारी विनिश्चय करे, एक मास की अवधि के अवसान पर रद्द किया गया समझा जाएगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजित हैं वहां इन नियमों के अधीन उनमें से प्रत्येक के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

11. विकलांग सरकारी सेवकों के लिए आवासीय वास सुविधा का तदर्थ आबंटन :—

शारीरिक रूप से विकलांग सरकारी सेवकों के लिए तदर्थ आबंटन के संबंध में निम्नलिखित रीति से विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) नेत्रहीन, अर्थात्, ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी दशा से पीड़ित हैं, अर्थात् :—

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव;

(ii) दृश्य में कमी जो 6/60 या शोधक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 20/200 (स्नेलिन) से अनधिक हो;

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री कोण या उससे कम पर हो;

(ख) बधिर, अर्थात्, ऐसे व्यक्ति जिनमें जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए श्रवण शक्ति है। वे प्रवर्धित वाक् से भी ध्वनि को पूर्ण रूप से सुनते और समझते नहीं हैं उस प्रवर्ग में ऐसे मामले के व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनके बेहतर कान में 90 डेसिबल से अधिक (प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट) श्रवण शक्ति की हानि या दोनों कानों में श्रवण शक्ति की कुल हानि हो;

(ग) अस्थि विकलांगता, अर्थात्, वे व्यक्ति जिन्हे अपनी अस्थि विरूपता के कारण स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने में बड़ी कठिनाई होती है।

12. हृदय रुग्णता के चिकित्सीय आधारों पर बिना बारी के आबंटन :—

(1) निम्नलिखित लक्षणों वाली हृदय रुगता चिकित्सीय आधारों पर तदर्थ आबंटन के लिए सम्मिलित की जानी चाहिए और यह रियायत केवल स्वयं की रुग्णता के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए अर्थात् यदि सरकारी सेवक नीचे उपदर्शित अनुसार हृदय संबंधी रुग्णता से स्वयं ग्रस्त है :—

"श्रेणी III और श्रेणी IV के लक्षणों वाली हृदय रुग्णता जिसमें एंजाइना श्रेणी III और श्रेणी IV जैसी गंभीर डायाबेलेटिक या श्रेणी III या IV की संकुलित हृदयपात या श्रेणी III और श्रेणी IV के लक्षणों सहित सांघातिक अतिरिक्त दाब सम्मिलित है।"

(2) फुफ्फुसी, टी. बी. और कैंसर जैसे अन्य चिकित्सीय आधारों पर तदर्थ आबंटन के लिए पात्रता के संबंध में माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों की बीमारी तदर्थ आबंटन की रियायत से अपवर्जित होनी चाहिए और सरकारी सेवक तथा उसके अपने कुटुंब अर्थात् पत्नी या पति और बच्चों की बीमारी पर ही, इन दोनों आधारों पर तदर्थ आबंटन की रियायत के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(3) चिकित्सीय आधारों और शारीरिक विकलांगता के आधार पर तदर्थ, आबंटन या बिना बारी आबंटन के लिए रिक्तियों का विद्यमान पांच प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।

13. क्वार्टरों का तदर्थ आबंटन या बिना बारी आबंटन के विचार के लिए समिति का गठन :—

(1) नियम 11 और 12 के अधीन वास सुविधा का तदर्थ आबंटन और बिना बारी आबंटन के लिए अनुरोधों के विचार के लिए एक समिति निम्नवत ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक द्वारा गठित की जाएगी :—

(क) अपर महाप्रबंधक (प्रशासन)/(कार्मिक) या उसकी अनुपस्थिति में, संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन)/(कार्मिक)	—अध्यक्ष
(ख) प्रधान चिकित्सा प्राधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा प्राधिकारी	—सदस्य
(ग) संपदा प्राधिकारी	—सदस्य
(घ) सहायक श्रम कल्याण आयुक्त/उप श्रम कल्याण आयुक्त	—सलाहकार

समिति का कम से कम तीन मास में एक अधिवेशन होगा और ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के विचार और आदेशों के लिए सिफारिश करेगी। तीन मास में एक बार ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक, आयुध कारखाना बोर्ड को उसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए निवास स्थान का आरक्षण :—

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए वास सुविधा के आरक्षण की विद्यमान प्रतिशतता टाइप I और II में 10% और टाइप II और IV में 5% होगी।

(2) प्राधिकारी उनकी हकदारी टाइप में और इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पृथक् प्रतीक्षा सूची से उनकी बारी में आबंटन के लिए हकदार होने चाहिए।

(3) इस प्रयोजन के लिए आरक्षित कोटा में उपलब्ध रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए क्रमश: 2 : 1 के अनुपात में आबंटित की जाएंगी। तथापि, यदि कोई अनुसूचित जाति कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो आरक्षित कोटा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के लिए आबंटित कर दिया जाएगा।

(4) ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी जो पहले से ही वास सुविधा के अधिभोग में हैं आरक्षित कोटा से उच्चतर टाइप के आबंटन के लिए विचार किए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे।

(5) आरक्षण के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:—

(क) यदि चालू आबंटन वर्ष के लिए आमंत्रित आवेदनों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से पर्याप्त आवेदन उपलब्ध नहीं है तो नए आवेदन आमंत्रित किए जा सकेंगे जिससे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षित वास सुविधा आबंटित की जा सकेगी;

(ख) सभी स्पष्ट रिक्तियों के आबंटन के लिए आबंटन अनुभागों में रजिस्टर रखा जा सकेगा। 60 प्वाइंट रोस्टर में टाइप I और II वास सुविधा की बाबत प्वाइंट सं. 10-20-40 और 50 पर रिक्तियां अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आबंटित की जानी चाहिए और प्वाइंट सं. 30 और 60 पर रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आबंटित की जानी चाहिए। टाइप III और IV वास की बाबत प्वाइंट सं. 20 और 40 पर रिक्तियां अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आबंटित की जानी हैं और प्वाइंट सं. 60 पर रिक्ति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आबंटित की जानी है;

(ग) रोस्टर के आरक्षण के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संबंध में साधारण प्रवर्ग के कर्मचारियों के साथ उनकी बारी में आबंटन के लिए भी विचार किया जाना है;

(घ) यदि यह तथ्य कि कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है, उसे पृथक प्रमाण पत्र कार्यालय के प्रधान से अभिप्राप्त नहीं किया जाना है। तथापि, आबंटन और स्वीकृति के समय पर यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि पदधारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का है।

15. आवासों का वर्गीकरण :—इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई प्राधिकारी नीचे सारणी में दर्शित टाइप के आवास के आबंटन के लिए पात्र होगा :

हकदारी टाइप	**वेतन रेंज** (प्राधिकारी का उस वर्ष के पहले दिन का मासिक मूल वेतन उसे आवास आबंटित किया जाता है।)
I	3050 रुपए प्रतिमास से कम
II	5500 रुपए प्रतिमास से कम किन्तु 3050 रुपए प्रतिमास से अन्यून।
III	8500 रुपए प्रतिमास से कम किन्तु 5500 रुपए प्रतिमास से अन्यून।
IV	12000 रुपए प्रतिमास से कम किन्तु 8500 रुपए प्रतिमास से अन्यून।
V	18400 रुपए प्रतिमास से कम किन्तु 12000 रुपए प्रतिमास से अन्यून।
VI	18400 रुपए प्रतिमास से अधिक। (उपरोक्त वर्गीकरण 5वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है)

आबंटन प्राधिकारी किसी हकदार कार्मिक से क्वार्टर के निचले टाइप के आबंटन के आवेदन की प्राप्ति पर उसे उस टाइप से निचले के आवास को आबंटित कर सकेगा जिसके लिए आवेदक पात्र है, परंतु यह तब जब कि वह उस क्वार्टर के उस टाइप के लिए उस वेतनमान की रेंज की ज्येष्ठता को पूरी करता है जिसके लिए वह पात्र है। ऐसे कार्मिक को उस क्वार्टर से उसके खाली होने के यथाशाध्य शीघ्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह पात्र है और ज्येष्ठता के अनुसार उसकी बारी आती है। उच्चतर टाइप के क्वार्टर के लिए जहां वे पात्र आवेदकों के न मिलने के कारण खाली रहते हैं प्रतीक्षा-सूची के उन अधिकारियों को आबंटित किए जा सकते हैं जो उनकी पूर्विकता की तारीख के क्रम में उनकी हकदारी के टाइप से एक टाइप नीचे के लिए पात्र है।

टिप्पण 1 :— ऐसे प्राधिकारी जो इस नियम के अधीन आबंटन के लिए विचार किए जाने के लिए बांछा करते हैं अपने आवेदन को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे जिसके न हो सकने पर उन पर आवास के आबंटन के लिए उसी टाइप पर विचार किया जाएगा जिसके लिए वे हकदार हैं।

टिप्पण 2 :—यदि जहां टाइप VI क्वार्टर उपलब्ध नहीं हैं वहां टाइप VI के लिए हकदार व्यक्तियों पर टाइप V के लिए विचार किया जा सकेगा। भले टाइप V क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो, विशेष मामले के रूप में उन पर टाइप IV क्वार्टरों के लिए विचार किया जा सकेगा जो इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि जब भी टाइप V क्वार्टर खाली होते हैं उन्हें टाइप V क्वार्टर आबंटित किए जाएंगे:

16. आबंटन के लिए आवेदन :—(1) ऐसे केन्द्र पर तैनात सभी प्राधिकारी जहां आयुध और सहयोजित स्थापनों के कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से वास सुविधा के आबंटन के लिए पात्र हैं, आबंटन के लिए आवेदन करेंगे :

परंतु यह कि आबंटन प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों या उनके प्रवर्गों को साधारण आदेश द्वारा ऐसी वास सुविधा के आवेदन से छूट दे सकेंगे जिन्हें किसी आबंटन वर्ष के दौरान वास सुविधा के आबंटन होने की संभावना नहीं है।

(2) पहली बार नियुक्ति पर कार्यभार संभालने वाला कोई प्राधिकारी अपना कार्यभार संभालने के एक मास के भीतर आबंटन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(3) किसी कलैंडर मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व उपनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर अगले मास में आबंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(4) ज्येष्ठता सूची टाइप I और टाइप II वास सुविधा के लिए पात्र कर्मकार सदस्यों में से पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह सूची प्रतिवर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को तैयार की जाएगी।

(5) टाइप "III" और ऊपर के क्वार्टरों की दशा में इन क्वार्टरों का आबंटन कारखाना आदेश/संपदा आदेशों में विज्ञापित करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

17. आवासों का आबंटन और प्रस्ताव :— (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय खाली होने वाले किसी आवास को आबंटन प्राधिकारी द्वारा उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो उस टाइप में वास सुविधा में परिवर्तन कराने की वांछा करता है परंतु यह तब तक कि वह ज्येष्ठता-सूची के अनुसार पात्र ही और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित नहीं है तो उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप में वास सुविधा नहीं है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आवास के उस टाइप के लिए पूर्वतर पूर्विकता तारीख में वह सम्मिलित है, अर्थात् :—

(क) आबंटन प्राधिकारी उस टाइप से उच्चतर टाइप में आवास को आबंटित नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पात्र है;

(ख) आबंटन प्राधिकारी किसी आवेदक को उस टाइप में निचले टाइप के आवास को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसके लिए वह पात्र है।

(2) आबंटन प्राधिकारी किसी प्राधिकारी के विद्यमान आबंटन को रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप के अनुकल्पी आवास को आबंटित कर सकेगा या आपात परिस्थितियों में प्राधिकारी के अधिभोगाधीन आवास से निचले टाइप के आवास को आबंटित कर सकेगा यदि प्राधिकारी के अधिभोगाधीन आवास खाली किया जाना अपेक्षित है।

18. आबंटन प्रस्ताव को अस्वीकार करना अथवा आबंटित आवास को स्वीकार करने के पश्चात् कब्जा लेने में असफलता :

(1) यदि कोई प्राधिकारी किसी आवास के आबंटन को पांच दिन के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है या स्वीकार करने के पश्चात् उस आबंटन पत्र के प्राप्त करने की तारीख से आठ दिन के भीतर आवास का कब्जा लेने में असफल रहता है तो वह आबंटन पत्र की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्य आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि किसी प्राधिकारी को जिसके अधिभोग में निचले टाइप का आवास उस टाइप का आवास आबंटित या प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 15 के अधीन पात्र है अथवा जिसके लिए उसने नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया है, उक्त आबंटन अथवा आबंटन के प्रस्ताव को इन्कार करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पहले से आबंटित आवास में रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यह कि ऐसा प्राधिकारी उच्चतर वर्ग की वास सुविधा के लिए आबंटन पत्र की तारीख से छह मास की अवधि के लिए अन्य आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) विद्यमान आवास को रखने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस जो उस पर उस आवास की बाबत प्रभारित की जाती जो उसे आबंटित किया गया है या आबंटन का प्रस्ताव किया गया है अथवा पहले से उसके अधिभोगाधीन आवास की बाबत संदेय अनुज्ञप्ति फीस इनमें से जो भी अधिक हो, प्रभारित की जाएगी।

19. आबंटन के बने रहने की अवधि और आगे प्रतिधारण के लिए रियायती अवधि :—

(1) कोई आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको इसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक :—

(क) उस केन्द्र के किसी पात्र कार्यालय में किसी प्राधिकारी के कर्तव्य पर न रहने के पश्चात् उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि समाप्त होती है;

(ख) इसे आबंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाता है या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द कर दिया गया समझा जाता है;

(ग) प्राधिकारी द्वारा इसे अभ्यर्पित कर दिया जाता है; या

(घ) आवास प्राधिकारी के अधिभोग में नहीं रहता है।

(2) किसी प्राधिकारी को आबंटित कोई आवास उप-नियम (3) के अधीन रहते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने पर स्तंभ (2) में की तत्समान प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखा जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि आवास प्राधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के सद्भावपूर्ण उपयोग के लिए अपेक्षित है।

सारणी

घटनाक्रम	निवास स्थान अपने पास रखने को अनुज्ञेय अवधि
1	2
(क) पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति।	एक मास
(ख) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी/स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति/चिकित्सा बोर्ड द्वारा निकाला गया	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर और अन्य दो मास दुगुनी सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर और अन्य दो मास चार गुनी सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर
(ग) आबंटिती की मृत्यु	बारह मास। यदि अंतिम केन्द्र पर मृतक या उसके आश्रित का अपना मकान नहीं है तो बारह मास की और अवधि अनुज्ञेय है
(घ) किसी दूसरे स्टेशन को स्थानांतरण	दो मास
(ङ.) उसी स्टेशन में किसी अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण	दो मास
(च) भारत में विदेश सेवा पर जाना	दो मास
(छ) भारत में अस्थायी स्थानांतरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानांतरण	चार मास
(ज) छुट्टी (जो निवृत्ति-पूर्व छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवांत छुट्टी चिकित्सीय छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)	छुट्टी की अवधि पर्यन्त, किन्तु चार मास से अनधिक
(झ) निवृत्ति-पूर्व छुट्टी या केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के अधीन नियम 38 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी	औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त, किन्तु चार मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इसमें सेवानिवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है।
(ञ) भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी या प्रतिनियुक्ति	छुटटी की अवधि पर्यन्त, किन्तु छह मास से अनधिक
(ट) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी	छुट्टी की अवधि पर्यन्त, किन्तु छह मास से अनधिक
(ठ) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त
(ड) अनुदेशन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त
(ढ)बच्चों के शैक्षिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरण	दो मास की अनुज्ञेय अवधि के पश्चात् छह मास तक या उनके बच्चों के विद्यालय या महाविद्यालय के शैक्षिक वर्ष के अंत तक इनमें से जो भी पहले हो। भाड़े का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :— पहले दो मास—सामान्य अनुज्ञप्ति फीस अगले छह मास—सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का दो गुना तत्पश्चात् —बाजार नुकसानी

1	2
(ण) किसी शैक्षिक वर्ष के अंत या किसी शैक्षिक वर्ष के पूर्व सेवा-निवृत्ति या कुटुंब में गंभीर रुग्णता	निर्धारित भाड़े का दो गुना के संदाय पर या सेवा-निवृत्ति से पूर्व उद्गृहीत किए जा रहे वेतन की विहित सुसंगत प्रतिशतता के संदाय पर दो मास की अनुज्ञेय अवधि पश्चात् छह मास तक या उनके बच्चों के विद्यालय या महाविद्यालय के शैक्षिक वर्ष के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो।

स्पष्टीकरण 1 : जब भारत में स्थानांतरण होने या अन्यत्र सेवा में जाने पर किसी प्राधिकारी की कोई छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है तो उसे (च), (ङ), (च) और (छ) के सामने वर्णित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अधिक हो, निवास स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 2 : जब भारत में स्थानांतरण या अन्यत्र सेवा संबंधी कोई आदेश किसी प्राधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण 1 : के अधीन अनुज्ञेय अवधि ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) (क) जब कोई निवास-स्थान उपनियम (2) के अधीन रखा रहा तो अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आबंटन, सिवाय उस दशा के जब उन अवधियों की समाप्ति के तुरंत पश्चात् वह प्राधिकारी उसी स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्य-भार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां कोई प्राधिकारी बिना वेतन और भत्ते के चिकित्सा छुट्टी पर रहता है वहां वह उपनियम (2) के नीचे सारणी की मद (1) के अधीन रियायत के कारण अपना निवास स्थान रख सकता है परन्तु यह तब जब कि वह ऐसे निवास स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नकद में भेजता है और जहां वह ऐसी अनुज्ञप्ति फीस भेजने में दो मास से अधिक के लिए असफल रहता है वहां आबंटन रद्द समझा जाएगा।

(4) ऐसा प्राधिकारी उपनियम (2) के नीचे सारणी की मद (क) या मद (ख) के अधीन रियायत के कारण अपना निवास स्थान अपने पास रखता है, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पात्र कार्यालय में पुर्ननियुक्ति में वह निवास स्थान अपने पास रखने के लिए हकदार होगा और वह निवास स्थान के आगे आबंटन के लिए इन नियमों के अधीन पात्र होगा :

परंतु यह कि यदि ऐसी पुनर्नियुक्ति पर प्राधिकारी का मूल वेतन उसके अधिभोगाधीन निवास स्थान की टाइप के लिए हकदार नहीं बनाता है तो उसे निवास स्थान की निचली टाइप आबंटित की जाएगी।

(5) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई प्राधिकारी पद्च्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवाएं पर्यवसित की जाती हैं तथा उस स्थापन/एकक के, जिसमें ऐसा प्राधिकारी ऐसी पद्च्युति या हटाए जाने या पर्यवसान के ठीक पूर्व नियोजित था, प्रधान का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समुचित है तो वह आबंटन प्राधिकारी से यह अनुरोध कर सकता है कि वह ऐसे प्राधिकारी को किए गए निवास स्थान का आबंटन या तो तुरंत रद्द कर दे या उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उपनियम (2) के नीचे मद (क) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसी तारीख से कर दे और आबंटन प्राधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

(6) जहां कोई क्वार्टर अनुज्ञेय अवधि के पश्चात् रखा जाता है, वहां नुकसानी प्रभारित की जाएगी। नुकसानी की संगणना के ब्यौरे सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों/परिपत्रों के अनुसार शासित होंगे।

(7) (क) आयुध कारखाने के ज्येष्ठ महाप्रबंधक या महाप्रबंधक, आयुध कारखानों और सहयोजित स्थापनों के कर्मचारियों की बाबत इन नियमों के अधीन संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ख) शक्तियों का प्रयोग जहां आवश्यक हो स्थानीय लेखाधिकारी के परामर्श से किया जाएगा।

20. **अनुज्ञप्ति फीस संबंधी उपबंध** :—(1) जहां वास सुविधा या अनुकल्पी वास सुविधा का आबंटन स्वीकार कर लिया जाता है वहां अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से, जो भी पूर्वतर हो प्रारंभ होगा।

(2) ऐसा प्राधिकारी जो आबंटन स्वीकार करने के पश्चात् उस वास सुविधा का आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर कब्जा लेने में असफल रहता है वहां उससे ऐसी तारीख से एक मास की अवधि तक की या उस विशिष्ट आवास सुविधा के पुन: आबंटन की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी। परंतु उसकी कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां अनुरक्षण अनुभाग यह प्रमाणित करता है कि वास सुविधा अधिभोग के लिए अभी तैयार नहीं है और उसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी उपरोक्त अवधि के भीतर उस वास सुविधा का अधिभोग प्राप्त नहीं करता है।

(3) जहां किसी प्राधिकारी को जिसके अधिभोग में कोई निवास स्थान है कोई दूसरा निवास स्थान आबंटित किया जाता है और वह नए निवास स्थान का अधिभोग प्राप्त कर लेता है, वहां पूर्वतर निवास स्थान का आबंटन नए निवास स्थान के अधिभोग प्राप्त करने की तारीख को रद्द समझा जाएगा। तथापि, यह पूर्वतर निवास स्थान को स्थानांतरण के लिए उस दिन और पश्चात्वर्ती दिन के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय किए बिना अपने पास रख सकता है।

21. **निवास स्थान के खाली किए जाने तक प्राधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस संदाय करने का वैयक्तिक दायित्व और अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभूति देना :**—(1) ऐसा प्राधिकारी जिसे कोई निवास स्थान आबंटित किया जाता है उसकी अनुज्ञप्ति फीस के लिए और उस नुकसानी के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त उस निवास स्थान को या सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंगों या सेवा व्यवस्था को उस अवधि के दौरान पहुँचाता है, जब निवास स्थान उसे आबंटित रहा है और उसे आबंटित रहता है अथवा जहां आबंटन इन नियमों के उपबंध के अधीन रद्द किया जाता है वहां जब तक निवास स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह, यदि कोई हो, खाली करके उसका पूर्ण खालीकब्जा सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है।

(2) जहां ऐसा प्राधिकारी जिसे कोई निवास स्थान आबंटित किया गया है न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न ही स्थायीवत् सरकारी सेवक है वहां वह एक प्रतिभूति सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित विहित प्ररूप में प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करेगा जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवारत स्थायी सरकारी सेवक होगा और ऐसे निवास स्थान और सेवाओं की बाबत तथा किसी अन्य निवास स्थान की बाबत जो उसे उसके स्थान पर दिया जाए अनुज्ञप्ति फीस और अन्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवक नहीं रहता है या दिवालिया हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रहता है तो प्राधिकारी ऐसी घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अन्य प्रतिभूति द्वारा निष्पादित नया बंधपत्र देगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे आबंटित निवास स्थान का आबंटन रद्द समझा जाएगा जब तक आबंटन प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिश्चय नहीं किया जाता है।

22. **आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :**— (1) कोई प्राधिकारी निवास स्थान के खाली करने की तारीख से पूर्व कम से कम दस दिन की आबंटन प्राधिकारी को सूचना देने पर किसी आबंटन को किसी भी समय अभ्यर्पित कर सकता है। निवास स्थान का आबंटन, आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र के दिन के पश्चात् ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख को, जो भी पूर्वतर हो, रद्द समझा जाएगा।

यदि वह सम्यक् सूचना देने में असफल रहता है तो दस दिन के लिए या उतने दिन के लिए जो दस दिन की सूचना देने की अवधि से कम रहते हैं, अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए जिम्मेदार होगा :—

परंतु यह कि आबंटन प्राधिकारी कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसा प्राधिकारी जो उपनियम (1) के अधीन निवास स्थान का अभ्यर्पण करता है ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर उसी स्टेशन पर सरकारी वास सुविधा के आबंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

23. **निवास स्थान का परिवर्तन :**—(1) ऐसा प्राधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन कोई निवास स्थान आबंटित किया जाता है वास सुविधा के प्रारंभिक अधिभोग की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उसी टाइप के अन्य निवास स्थान में या ऐसे निवास स्थान में जिसके लिए वह नियम 15 के अधीन पात्र है, इनमें से जो भी छोटा हो, परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा। प्राधिकारी को आबंटित निवास स्थान के एक टाइप की अवधि एक बार से अधिक परिवर्तन के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) आबंटन प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में परिवर्तन के लिए और एक कलैण्डर मास की 19 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों को आगामी मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए वे प्राधिकारी जिनके नाम पूर्वतर मास की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाते हैं उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मासों की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी पूर्विकता की तारीख के क्रम में अवधारित की जाएगी।

(3) निवास स्थानों का परिवर्तन उपनियम (2) के अनुसार अवधारित जयेष्ठता के क्रम में और यथा साध्य अधिकारियों के पूर्व अधिमानता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(4) यदि कोई प्राधिकारी ऐसे प्रस्ताव के जारी करने के पांच दिन के भीतर प्रस्तावित निवास स्थान के परिवर्तन को स्वीकार करने में असफल रहता है तो उसके आवेदन पर उस टाइप के निवास स्थान के परिवर्तन के लिए छह मास की अवधि के भीतर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसे प्राधिकारी से जो निवास स्थान के परिवर्तन को स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा लेने में असफल रहता है, ऐसे निवास स्थान के लिए नुकसानी दर से अनुज्ञप्ति फीस अवधारित की जाएगी जैसा कि उसके अधिभोगाधीन पहले के निवास स्थान के लिए किसी अप्राधिकृत अधिभोगी से सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त फीस प्रभार्य होती है।

24. **निवास स्थान में पारस्परिक परिवर्तन.**— ऐसे प्राधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास स्थान आबंटित किए जाते हैं, उनके निवास स्थानों को पारस्परिक रूप से परिवर्तन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेंगे । यदि दोनों अधिकारियों से युक्तियुक्त रूप से उसी स्टेशन में कर्तव्य पर रहने के लिए और ऐसे परिवर्तन के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छह मास तक उनके पारस्परिक रूप से परिवर्तन निवास स्थानों में रहने के लिए आशयित है तो इस प्रकार पारस्परिक परिवर्तन की अनुज्ञा को मंजूर किया जा सकेगा।

25. **गैरकुटुंब स्टेशन को स्थानांतरण.**— यदि ऐसे किसी प्राधिकारी को ऐसे स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां उसे सरकार द्वारा अपने कुटुंब को ले जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या सलाह नहीं दी जाती है और इन नियमों के अधीन उसे आबंटित निवास स्थान पर किसी बालक के सद्भावपूर्ण शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षा है तो उसे उसके अनुरोध पर उसके बालक के लिए शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक मूल नियम 45क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास स्थान के रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

26. **निवास स्थान का अनुरक्षण.**— अधिकारी जिसे कोई निवास स्थान आंबंटित किया गया है निवास स्थान और परिसर को संबंधित कारखाना अनुरक्षण अनुभाग में समाधान पूर्ण रूप में स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा। ऐसे प्राधिकारी निवास स्थान से संलग्न रक्षित अहाते और कम्पाउंड में कोइ पेड, झाड़ी या पौधे नहीं उगाएगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निदेशों के विपरीत हों और न ही विद्यमान पेड, झाड़ियों को काटेगा या छोटा करेगा। इसके सिवाय कि वह उपरोक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करे। इन नियमों के उल्लंघन में उगाए गए पेड़ पौधे और वनस्पति संबंधित प्राधिकारी की जोखिम और लागत पर आबंटन प्राधिकारी द्वारा हटवाए जाएंगे।

27. **निवास स्थानों को सिकमी देना और सहभोग.**— सरकार के अधीन या अन्यथा सेवारत किसी व्यक्ति को न तो मुक्त न भाड़े पर सिकमी देने के लिए किसी कर्मचारी को किन्हीं भी परिस्थितियों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि कोई आबंटिती अपने परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को भागत: और पूर्णत: सिकमी देता है तो वह अप्राधिकृत अधिभोगियों से यथा प्रभार्य नुकसानी के लिए दायी होगा। उसके विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई और/या बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी।

28. **नियमों और शर्तों के उल्लंघन के परिणाम.**—यदि कोई प्राधिकारी जिसे कोई निवास स्थान आबंटित किया गया है, निवास स्थान अप्राधिकृत रूप से सिकमी देता है या हिस्सा बटाने वाले व्यक्ति से भाड़ा लेता है तो आबंटन प्राधिकारी उस दर पर जो वह अधिक उचित समझे या निवास स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत रूप से सन्निर्माण खड़ा करता है तो उसके किसी भाग को उन प्रयोजनों से भिन्न जिनके लिए वह है या बिजली या जल संबंधनों में छेड़-छाड़ करता है अथवा आबंटन के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा निवास स्थान या परिसर का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसे आबंटन प्राधिकारी अनुचित समझता है अथवा स्वयं इस प्रकार का आचरण करता है जो पड़ोस में बंधुता को निभाने के लिए विपरीत रूप से प्रभावित करता है या आबंटन प्राप्त करने के विचार से किसी आवेदन में या लिखित कथन में जानबूझकर कोई गलत जानकारी देता है तो आबंटन प्राधिकारी किसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती है निवास स्थान के आबंटन को रद्द कर सकेगा। इन नियमों के अधीन कार्रवाइयों के अलावा अनुशासनिक प्राधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के अशोभनीय आचरण के आधारों पर यथोचित शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक नियम के अधीन विभागीय कार्रवाइयां भी आरम्भ करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम में "प्राधिकारी" पद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्राधिकारी की मार्फत दावा करता है।

29. **नियमों के उल्लंघन की दशा में आबंटन प्राधिकारी की वैवेकिक शक्ति.**—जहां किसी निवास स्थान पर आबंटन पड़ोसियों के साथ बंधुता निभाने पर विपरीत प्रभाव डालने के आचरण से रद्द कर दिया जाता है वहां प्राधिकारी को आबंटन प्राधिकारी के विवेकानुसार किसी अन्य स्थान पर उसी टाइप का अन्य निवास स्थान आबंटित किया जा सकता है। आबंटन प्राधिकारी इन नियमों के अधीन सभी या कोई कार्रवाई करने के लिए और उस प्राधिकारी को जो उसको जारी किए गए नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए वास सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए सक्षम है।

30. **आबंटन के रद्दकरण के पश्चात् निवास स्थान में बने रहना .**—जहां किसी आबंटन के रद्दकरण के पश्चात् या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द समझा गया कोई निवास स्थान उस प्राधिकारी के अधिभोग में रहता है या रहा है जिसे यह आबंटित किया गया था या किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में रहता है या रहा है जो अधिकारी की मार्फत दावा करता है, ऐसा अधिकारी निवास स्थान के उपयोग और अधिभोग उसमें उपलब्ध सेवाओं, फर्नीचर की नुकसानी और बागवानी प्रभारों का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित बाजार अनुज्ञप्ति फीस/नुकसानी के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त, आबंटिती, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन बेदखली के लिए दायी होगा।

परन्तु यह कि विशेष दशाओं में किसी प्राधिकारी को मूल नियम 45क के अधीन दुगनी मानक अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर किसी निवास स्थान को नियम 19 के अधीन अनुज्ञेय साधारण अवधि के पश्चात् छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

31. **इन नियमों के जारी करने से पूर्व किए गए आबंटनों का बना रहना.**—निवास स्थान का कोई विधिमान्य आबंटन जो इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन विद्यमान है, इस बात के होते हुए भी कि कोई प्राधिकारी नियम 15 के अधीन उस टाइप के किसी निवास स्थान के लिए पात्र नहीं है, इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आबंटन समझा जाएगा और इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबंध उस आबंटन के संबंध में लागू होंगे तथा तदनुसार उस प्राधिकारी को लागू होंगे।

32. **कतिपय दशाओं में कुछ नातेदारों को आबंटन.**—(क) जब कोई सरकारी सेवक जिसे सरकारी वास सुविधा आबंटित की गई है सेवा निवृत्त होता है या बोर्ड द्वारा सेवा से निकाल दिया जाता है या सेवा के दौरान मर जाता है तब उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति या किसी अन्य निकटतम नातेदार को जो पहले से ही स्थापन में सेवारत है या जिसे अनुकंपा के आधार पर उस स्थापन में नियोजन दिया जाता है, तदर्थ आधार पर सरकारी वास सुविधा आबंटित की जा सकती है। परन्तु यह तब जब उक्त नातेदार सेवानिवृत्त हुए या बोर्ड द्वारा निकाले गए या मृतक प्राधिकारी के साथ सेवानिवृत्त या बोर्ड द्वारा निकाले जाने अथवा मृत्यु के पूर्व कम से कम छह माह की अवधि के लिए वास सुविधा का हिस्सा बटाता रहा हो। निकटतम नातेदार की दशा में क्वार्टर तब आबंटित किया जा सकेगा जब महाप्रबंधक का दावे की वास्तविकता से समाधान हो जाता है।

(ख) उस निवास स्थान को नातेदार के नाम पर नियमित किया जा सकेगा यदि वह उस टाइप या किसी उच्चतर टाइप के निवास स्थान के लिए पात्र है। अन्य दशाओं में उक्त नातेदार को उसकी पात्रता की टाइप के निवास स्थान को आबंटित किया जा सकेगा यदि आबंटिती को स्वीकार्य हो।

33. **नियमों का निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चिय अध्यक्ष, आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

34. **नियमों में छूट.**—अध्यक्ष, आयुध कारखाना बोर्ड, किसी प्राधिकारी या अधिकारियों के वर्ग की दशा में इन नियमों के किसी या सभी उपबंधों को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से शिथिल कर सकेगा।

35. **कृत्यों की शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—अध्यक्ष, आयुध कारखाना बोर्ड, इन नियमों के अधीन उसको प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसे वह अधिरोपित करना उपयुक्त समझे, अपने नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

[फा. सं. 4(1)/2001/आई डी/फैक्टरी-II]

प्रहलाद राय, अवर सचिव

परिशिष्ट-1

वास सुविधा की विभिन्न टाइपों के लिए एक समान अनुज्ञप्ति फीस नियत करने के लिए पुनरीक्षित सूत्र उपदर्शित करते हुए विवरण ।

वास सुविधा की टाइप	आवास क्षेत्र की रेंज (वर्ग मीटर में)	विद्यमान समान दर	1-4-2000 से अनुज्ञप्ति फीस की पुनरीक्षित समान दर (रुपयों में)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	30 तक	20	23	दो क्वार्टरों से अधिक के लिए उपलब्ध कराई गई शौचालय सुविधाओं में हिस्सा बटाने वाले क्वार्टर।
	30 तक	26	30	दो क्वार्टरों के लिए उपलब्ध कराई गई शौचालय सुविधाओं में हिस्सा बटाने वाले क्वार्टर।
	30 तक	46	53	300 स्क्वायर फीट से अन्यून के कुर्सी क्षेत्र वाले पुराने क्वार्टर।
	30 तक	58	67	300 स्क्वायर फीट या उससे अधिक के कुर्सी क्षेत्र वाले क्वार्टर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	26.5 से अधिक और 40 तक	104	120	
	41 से 50 तक	133	153	
III	34.5 से अधिक और 55 तक	145	181	
	56 से 65	177	221	
IV	59 से 75	196	245	
	76 से 91.5	245	306	
D. II	106 तक	289	434	
	106 अधिक	351	527	
D. I	159.5 तक	430	645	
C. II	159.5 से अधिक	514	771	
C. I	189.5 से 224.5	604	906	
VII	243 से 350	866	1,299	
VIII	350.5 से 522	1,274	1,911	

होस्टल वास सुविधा

सूट का प्रवर्ग	आवास क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विद्यमान दर (रु.)	1-4-2000 से पुनरीक्षित दरें (रु.)
एकल कक्ष	21.5 से 30.0	110	165
एकल कक्ष	30.5 से 39.5	156	234
दोहरे कक्ष	47.5 से 60.0	214	321

नियमित वास सुविधा/होस्टल के सेवक क्वार्टरों और गैरिजों के स्वतंत्र आबंटन के लिए निम्नलिखित समान दरें वसूल की जा सकेंगी :—

	विद्यमान दरें	1-4-2000 से पुनरीक्षित दरें
1. सेवक क्वार्टर	20 रु.	30 रु.
2. गैरेज	12 रु.	18 रु.

टिप्पण : ये दरें आबंटिती की वार्षिक उपलब्धियों की 10% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होंगी।

परिशिष्ट-2

आवास क्षेत्रफल का अवधारण करने के लिए युक्तियां

मुख्य भवन

(क)	कक्ष, रसोई, स्नान गृह, शौचालय, भंडार कक्ष और संलग्न बरामदा।	तल क्षेत्रफल का 100%
(ख)	बरामदा, गलियारे और बरसाती	तल क्षेत्रफल का 25%
(ग)	ड्योढ़ी	तल क्षेत्रफल का 12½%
(घ)	पक्का आंगन	तल क्षेत्रफल का 5%

उप भवन

(क)	कक्ष	तल क्षेत्रफल का 25%
(ख)	बरामदा	तल क्षेत्रफल का 12½%

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd September, 2004

S.R.O. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Allotment of residences (Ordnance Factories Accommodation for Civilians in Defence Services) Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the allotment of residential quarters to the Civilians in Defence Services, specifically constructed for them, in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and their allied establishments in Defence Services, namely :—

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These rules may be called the Allotment of residences (Ordnance Factories Accommodation for Civilians in Defence Services) Rules, 2003.

(2) They shall apply to all Civilians paid from Defence Services Estimates, employed in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and their allied establishments in Defence Services.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "allotment" means the grant of a licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) "allotment year" means the year beginning on the 1st day of April of each year or such other period as may be notified by the allotting authority;

(c) "allotting authority" means—

(i) The Senior General Manager or the General Manager or the Officer in-temporary charge of the General Manager, or

(ii) Additional General Manager (Administration) or Additional General Manager (Personnel), or

(iii) Joint General Manager (Administration) or Joint General Manager (Personnel), or

(iv) Deputy general Manager (Administration) or Deputy General Manager (Personnel), if specifically authorised to exercise the powers of allotting authority by the General Manager in the Ordinance Factories or Ordinance Equipment Factories;

(d) "eligible office" means the Ordnance Factories and Ordnance Equipment Factories, and their allied establishments; and Military Engineering Service, where it is intended exclusively for Ordinance Factories or Ordnance Equipment Factories;

(e) "emoluments" means the basic pay and special pay, as defined in rule 45C of the Fundamental Rules.

Explanation.—In the case of an officer who is under suspension, the basic pay drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension, or if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the basic pay drawn by him immediately before that date shall be taken as basic pay;

(f) "family" means the wife or husband, as the case may be, and children, step-children, legally adopted children, parents, brothers or sisters who ordinarily reside with, and are dependent on, the officer;

(g) "Government" means the Central Government, unless the context otherwise requires;

(h) "Licence fee" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules.

Note.—On acceptance of the recommendations of the Fourth Pay Commission relating to the charging of licence fee for Government accommodation, the Central Government has prescribed flat rates of licence fee

for the residential accommodation available in General Pool and also under various Ministries/Departments of the Government of India all over the country subject to revision of the rate after three years. The charging of licence fee at flat rate is equally applicable to the occupants of Government accommodation in the estates of Ordnance Factories and Ordnance Equipment Factories. The flat rate of licence fee for different types of accommodation fixed by the Government shall be as in appendix I. The formula for calculating the living area of the accommodation shall be as in Appendix II. For common services, like, conservancy charges, service tax, fire tax and scavenging tax payable for residencies, no additional charges shall be recovered;

(i) "priority date" of an officer, in relation to a type of residence to which he is eligible, means the earliest date from which he has been continuously drawing basic pay in the pay range relevant to a particular type.

Note 1.— In fixing relative seniority of applicants for particular type of quarters, a relative chronological arrangement of dates of priority of all applicants shall be made.

Note 2.— The relative priority dates shall be assessed with reference to the actual dates of drawal of pay at the minimum in particular pay range.

Note 3.— The pay range shall comprise basic pay including special pay, as defined in rule 45C of the Fundamental Rules, and does not include any other allowances.

Note 4.— Where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of basic pay, the officer in receipt of higher basic pay taking precedence over the officer in receipt of lower basic pay; and where the basic pay is equal, by the length of service; and where the date of joining service is the same, that is, length of service is equal by the age or date of birth.

Note 5.— In the case of type I and type II quarters where more than one individual applicants carry the same date of eligibility, preference for allotment shall be given in the following order, namely :—

(A) on the basis of total length of service in regular appointment;

(B) if more than one individual is placed in identical position vis-a-vis the total length of service, as mentioned at (A), then preference shall be given to the individual who is senior in age;

(j) "residence" means a residence for the time being under the administrative control of the allotting authority to which these rules apply;

(k) "same type quarters" means same type quarters with same floor area, licence fee and amenities;

(l) "station" means the estate under the jurisdiction of an Ordnance Factory or Ordnance Equipment Factory;

(m) "Subletting" includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of rent by such other person;

(n) "sharing" means sharing by an allottee the residence allotted to him only with his close relatives and Central Government servants eligible for Government accommodation.

Explanation :—The allottee officer is required to send prior intimation to the allotting authority intimating full particulars of the officer and his family residing with him in the quarter and full particulars of the sharer of the accommodation and his family;

(o) **"temporary transfer"** means a transfer which involves an absence for a period not exceeding three months;

(p) **"transfer"** means a transer from one station to another station;

(q) "type", in relation to an officer, means the type of residence to which he is eligible.

3. **Additions or alterations of structures in residences.**—No additions or alterations of structural character shall be carried out in residences at the request of allottees. Such additions or alterations, if considered necessary, may be carried out in all similar residences in a standardize manner and no additional licence fee or charges may be recovered from the allottees for such additions or alterations.

4. **Water, electricity and other charges for residences.**—Water and electricity charges shall be payable by the allottees of quarters as per rules, rent regulations, i.e. Military Engineering Service regulations in addi-

tion to licence fee. Similarly, charges on account of issue of furniture, electrical appliances, air conditioning appliances, etc. shall also be recovered from the allottees, if issued under the rules.

5. **Criterion for determining the living area.**— The living area of the quarters will be as indicated in Appendix II. However, there may be cases where the living area of the quarters may be slightly less than the minimum specified for the relevant type or slightly less than the maximum specified. In such cases, licence fee shall be recovered on the basis of the classification of the types of accommodation and based on the lowest or highest rates depending on the lower living area or higher living area of the quarter and in such cases, the licence fee shall be fixed on provisional basis and such anomalies will be sorted out by the Station Board concerned for the purpose and approved by the General Manager.

6. **Licence fee for unclassified and sub-standard accommodation.**—The licence fee prescribed in Appendix-I shall be applicable to classified and standard accommodation only. Recovery of licence fee in respect of unclassified and sub-standard accommodation shall be governed by orders/circulars of Directorate of Estates, Ministry of Urban Affairs and Employment, Government of India, as amended from time to time.

7. **Licence fee for quarters in respect of house-owning officers at the place of duty and others allowed retention of accommodation or allotted alternative accommodation.**—The matter relating to the recovery of licence fee from house-owning officers at their places of duty and officers who are allowed retention of accommodation or allotted alternative accommodation, shall be as provided in the Fundamental Rules or the orders of Directorate of Estates, Ministry of Urban Affairs and Employment, Government of India.

8. **Priority of allotment of quarters for employees belonging to common essential services.**—The allotting authority shall form a category of common essential services, such as, fire fighting, security, medical mechanical and electrical maintenance, personnel for manning power stations and overhead lines, water supply and others, telephone operators attached to telephone maintenance, teachers and any other category of personnel which may be defined from time to time by executive instructions to be issued by or under the authority of the Ordnance Factory Board.

The allotting authority (Officer Controlling Estate Establishment) will first take out the quarters for allotment to common essential categories of employees (common to all establishments) to be defined as indicated heretofore, and then allot quarters to employees of the general category and thereafter allot or distribute pro data residual quarters to each user establishment on the 1st day of April of each year.

9. **Allotment of quarter for essential services categories of employees, procedure for allotment of quarters and power of General Manager to make out-of-turn allotment of quarters.**—Of the quarters allotted or distributed to each user establishment, the Head of establishment will first allocate reasonable quota for a portion of his own essential categories, if any, and allot the balance of quarters to others according to normal seniority. As far as the factory establishment is concerned, the General Manager may make out-of-turn allotment on administrative grounds outside the pale of common essential services personnel to Personal Assistant to General Manager and Cashier. The balance quarters available to them will be allotted to other employees as per priority lists. The total number of quarters available to each establishment should be published in Factory Order or Office Order for general information. Any change in the number of quarters shall be notified in similar manner.

The General Manager of the factory controlling the estate is the sole authority for allotment of quarters to any establishment, namely, Factory concerned, directorate General Quality Assurance (Inspectorate) and Local Accounts Office.

10. **Allotment of quarters to husband and wife, eligibility in cases of officers who are married to each other.**— (1) No officer shall be allotted as residence under these rules, if the wife or husband, as the case may be, of the officers has already been allotted a residence, unless he or she surrenders such residence:

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are :—

(a) posted in different stations;

(b) residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residences allotted under these rules in the same estate marry each other, they shall, within one month of the marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period specified in sub-rule (2), and if the residence are of the same type, the allotment of such one of them, as the allotting authority may decide shall be deemed to have been cancelled on the expiry of the period of one month.

(4) Where both the husband and wife are employed under the Central Government, the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently.

11. **Ad hoc allotment of residential accommodation to handicapped Government servants.**—The ad hoc allotment to the physically handicapped Government servants shall be considered in the following manner, namely :—

(a) the blind, i.e., those who suffer from either of the following conditions, namely :—total absence of sight;

(i) visual acute not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses;

(ii) limitation of the field of the vision subtending an angle of 20 degrees or worse;

(b) the deaf, i.e., those in whom the sense of hearing on functional for ordinary purpose of life. They do not hear, understand sound at all even with amplified speech. The cases included in that category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears;

(c) the orthopaedically handicapped, i.e., those who as a result of their orthopaedic deformity, find it very difficult to move freely.

12. **Out-of-turn Allotment on medical grounds of heart ailment.**—(1) the heart ailment having the following symptoms should be included for ad hoc allotment on medical grounds and the concession should be restricted to self ailment only. i.e., if the Government servant himself is suffering from cardiac ailment as indicated below :—

"Heart ailment having symptoms of Grade-III and Grade-IV which includes serious diabetic like angina Grades III and IV or congested cardiac failure Grades III and IV or Malignant Hypertension with symptoms of Grades III and IV."

(2) With regard to eligibility for ad hoc allotment o other medical grounds such as pulmonary T.B. and Cancer, illness of parents and other members of the family should be excluded for the concession of ad hoc allotment and illness of the Government servant and his own family, i.e. wife or husband and the children should alone be considered for the concession of ad hoc allotment on these two grounds.

(3) Existing 5% reservation of vacancies for ad hoc allotment or out-of-turn allotment on medical grounds and physical handicap would apply.

13. **Constitution of Committee for consideration of ad hoc allotment and out-of-turn allotment of quarters.**—(1) For consideration of requests for ad hoc allotment and out-of-turn allotmnet of accommodation under rules 11 and 12, a Committee will be constituted by the Senior General Manager or General Manager as under :

(a) Additional General Manager (Administration)/(Personnel) or in his absence, Joint General Manager (Administration)/(Personnel) —Chairman

(b) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer —Member

(c) Estate Officer —Member

(d) Assistant Labour Welfare Commissioner/Deputy Labour Welfare Commissioner. —Advisor

The Committee will meet atleast once in a quarter and shall give recommendation for consideration and orders of the Senior General Manager or General Manager. Once in a quarter, the Senior General Manager or General Manager will submit a report on the same to Ordnance Factory Board.

14. **Reservation of residential accommodation to Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees.**—(1) the existing percentage of reservation of accommodation for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees will be 10% in types I and II and 5% in types III and IV.

(2) The officers should be entitled for allotment in their entitled type and their turn from the separate waiting list to be maintained for the purpose.

(3) The vacancies available in the quota reserved for the purpose would be allotted in the ratio of 2 : 1 to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees respectively. In case, however, there is no Scheduled Caste Employee available, the quota reserved would be allotted to Scheduled Tribe Employee.

(4) The Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees who are already in occupation of accommodation will not be entitled to be considered for allotment of higher types from the reserved quota.

(5) The following procedure shall be followed in the matter of reservation, namely :—

(a) in case sufficient applications from the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees are not available from the applications invited for the current allotment year fresh applications may be invited from members of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe so as to allot the reserved accommodation to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Employees;

(b) a register for allotment of all clear vacancies may be maintained in the allotment sections. In respect of types I and II accommodation in the 60 point roster, vacancies at point Nos. 10, 20, 40, and 50 should be allotted to the Scheduled Caste Employees and vacancies at point Nos. 30 and 60 allotted to the Scheduled Tribe Employees. In respect of Types III and IV accommodation, the vacancies at point Nos. 20 and 40 are to be allotted to the Scheduled Caste Employees and vacaney at point No. 60 is to be allotted to the Scheduled Tribe Employees;

(c) in addition to the reservation to the roster, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees are also to be considered for allotment in their turn alongwith general category employees.

(d) if the fact that the employee is a Scheduled Caste/Scheduled Tribe no separate certificate is to be obtained from Head of the Office. However, at the time of allotment and acceptance, it should be verified that the official belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe categories.

15. **Classification of residences.**—Save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of residence of the type shown in the table below :

Entitled Type	**Pay Range** (officer's monthly basic pay on the first day of the allotment year in which the allotment is made.)
I	Less than Rs. 3050/- per month
II	Less than Rs. 5500/- but not less than Rs. 3050/- per month
III	Less than Rs. 8500/- but not less than Rs. 5500/- per month.
IV	Less than Rs. 12000/- but not less than Rs. 8500/- per month
V	Less than Rs. 18400/- but not less than Rs. 12000/- per month
VI	Rs. 18400/- and above per month (The above classification is based on the recommmendation of the 5th Pay Commission).

The allotting authority on receipt of an application from the entitled personnel for allotment of a lower type of quarter, might allot to him a residence next below the type for which the application is eligible, provided he fulfils his pay range seniority for the type of quarter to which he was entitled. Such personnel will be shifted to a quarters for which he is entitled as soon as it falls vacant in his turn according to seniorty. For higher type of quarters where remaining vacant for want to eligible applicants, the same may be allotted to officers in the waiting list who are eligible one step below the type of their entitlement in order of priority dates.

Note 1.—Officers who desire to be considered for allotment under this rule shall submit their application for allotment in duplicate, failing which they shall be considered for allotment of residence of the type to which they are entitled.

Note 2.—In case where type-VI quarters are not available, entitled persons for type-VI may be considered for type-V. Even if type-V quarters are not available, as a special case they may be considered for type-IV quarters subject to the condition that as and when type-V quarters fall vacant, they will be allotted type-V quarters.

16. **Application for allotment.**—(1) All officers posted at a station where accommodation has been built specifically for employees of Ordnance and allied Establishments, are eligible for the allotment of such accommodation, they shall apply for allotment :

Provided that the allotment authority may, by general order, exempt such officers or categories therefore as are unlikely to be allotted accommodation during an allotment year from applying for such accommodation.

(2) An officer joining duty at the station on first appointment or on transfer may submit his application to the allotting authority within one month of his joining duty.

(3) Applications received under sub-rule (2) on or before 20th days of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month.

(4) The seniority list will be made on the basis of applications received from the eligible members of staff of workers entitled for type-I and type-II accommodations. This list will be prepared on first January and first July each year.

(5) In the case of quarters of type-III and above type, allotment of these quarters will be made after they are advertised in the Factory Order or Estate Orders.

17. **Allotment of residences and officers.**—(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence on falling vacant shall be allotted by the allotting authority preferably to an applicant desiring a change of accommodation in that type provided he is eligible for as per seniority list and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions, namely :—

(a) the allotting authority shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible;

(b) the allotting authority shall not compel any applicant to accept a residence of lower type than that to what he is eligible.

(2) The allotting authority may cancel the existing allotment of an officer and allot him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer, if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

18. **Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.**—(1) If any officer fails to accept the allotment of a residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of the letter of allotment, he shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter.

(2) If any officer occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 15 or for which he has applied under sub-rule (1) or rule 16, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such an officer shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of the allotment letter for the higher class accommodation;

(b) while retaining the existing residence, he shall be charged the same licence fee which he would have to pay in respect of the residence so allotted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

19. **Period for which allotment subsists and the concessional period for further retention.**—(1) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until.

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-rule (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office at that station; or

(b) it is cancelled by the allotting authority or is deemed to have been cancelled under any provision in these rule; or

(c) it is surrendered by the officer; or

(d) the officer ceases to occupy the residence,

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3), be retained on the happening of any of the events specified in column (1) of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column (2) thereof, provided that the residence is required for the bonafied use of the officer or members of his family.

TABLE

	Events	Permissible period for retention of residence
(a)	Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorized absence without permission.	One month.
(b)	Retirement or terminal leave/voluntary retirement/ medically boarded out.	Four months on normal licence fee and another two months on double the normal licence fee and further two months on four times the normal licence fee.
(c)	Death of the allottee.	Twelve months. Further period of twelve months admissible, if the deceased or his/her dependent does not own a house at the last station.
(d)	Transfer to another station.	Two months.
(e)	Transfer to an ineligible office at the same station.	Two months.
(f)	On proceeding on Foreign Service in India.	Two months.
(g)	Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	Four months.
(h)	Leave (other than leave preparatory to retirement, refused leave, terminal leave, medical leave or study leave).	For the period of leave but not exceeding four months.
(i)	Leave preparatory to retirement or refused leave granted under rule 38 of the Central Civil Services (Leave) Rules 1972.	For the full period of leave on full average pay, subject to a maximum of four months inclusive of the period permsible in the case of retirement.
(j)	Study leave or deputation outside India.	For the period of leave but not exceeding six months.
(k)	Study leave in India.	For the period of leave but not exceding six months.
(l)	Leave on medical grounds.	Full period of leave.
(m)	On proceeding on course of instruction/training.	Full period of Training.
(n)	Transfer during the middle of the academic year of their children.	Upto six months beyond the permissible period of two months or till end of the school or college academic year of children, whichever is earlier. The rentral liability will be as follows : First two months—normal licence fee. Next six months—Double the normal licence fee. Thereafter—Damages.
(o)	Retirement before the end of academic year or a academic year or serious illness in the family.	Upto six months beyond the permissible period of two months or till the end of school or college academic year of their children, whichever is earlier, on payment of double the assessed rent or prescribed relevant percentage of pay as being levied before retirement.

Explanation 1.—Where an officer on transfer of foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (d), (e), (f) and (g) or for the period of leave whichever is more.

Explanation 2.—Where an order on transfer of foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave, the period permissible under Explanation 1 shall count from the date of issue of such order.

(3)(a) Where a residence is retained under sub-rule (2), the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional period unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office at the same station.

(b) Where an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (I) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

(4) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (a) or item (b) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in eligible office within the period specified on the said Table, be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment or residence under these rules :

Provided that if the basic pay of the officer on such re-employment does not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), when an officer is dismissed or removed from service or when his services have been terminated and the Head of the Establishment/Unit in which such officer was employed immediately before such dismissal or removal or termination, is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, he may request the allotting authority to cancel the allotment of residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (a) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the allotting authority shall act accordingly.

(6) Where a quarter is retained beyond the permissible period, damages shall be charged. The details of calculation of damages will be governed as per the orders/circulars issued by the Government from time to time.

(7)(a) The Senior General Managers or General Managers of the Ordnance Factories will exercise full powers under these rules in respect of employees of Ordnance Factories and allied establishments.

(b) These powers will be exercised in consultation with the Local Accounts Officer, where necessary.

20. Provision relating to licence fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment letter, whichever is earlier.

(2) An officer who after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter shall be charged licence fee from such date up to a period of one month or upto the date of re-allotment of that particular accommodation, whichever is earlier, provided nothing contained herein shall apply where the Maintenance Section certifies that the accommodation is not yet ready for occupation and as a result thereof the officer does not occupy the accommodation within the aforesaid period.

(3) Where an officer, who is in occupation of residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from that date of occupation of the new residence. He may, however, retain the former residence without payment of licence fee for that day and the subsequent day for shifting.

21. Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and furnishing surety by temporary officers.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by the Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him or where the allotment has been cancelled under any of the provisions of these rules, until the residence along with the out-houses appurtenant thereto, have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to the Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant shall execute a surety bond in the form prescribed in this behalf by the Central Government with a surety who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided in lieu thereof.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or ceases to be available for any other reason, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact, and if he fails to do so, the allotment of the residence to him, shall unless otherwise decided by the allotting authority, be deemed to have been cancelled with effect from that event.

22. **Surrender of allotment and period of notice.**—(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the allotting authority at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment

3052G1/04—4

of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the allotting authority or the date specified in the letter, whichever is later.

If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days or the number of days by which the notice given by him falls short of ten days :

Provided that the allotting authority may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of Government accommodation at the same station for a period of 6 months from the date of such surrender.

23. **Change of residence.** —(1) An officer to whom a residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 15, whichever is lower, not earlier than a period of six months from the initial date of occupation of accommodation. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) All applications for change made in the form prescribed by the allotting authority and received upto the 19th day of a calendar month shall be included in the waiting list in the succeeding month. For purposes of this rule, the officers whose names are included in the waiting list in an earlier month shall be senior to those whose names are included in the list in subsequent months. The inter-se-seniority of the officers included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates.

(3) Changes of residences shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officers' preferences as far as possible.

(4) if an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer, he shall not be considered again for a change of residence of that type within a span of six months.

(5) An officer who after accepting a change of residence fails to take possession of the same shall be charged licence fee for such residence at damages rate as chargeable from unauthorized occupants in addition to the normal licence fee for the residence already in his possession.

24. **Mutual Exchange of residence.**—Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences. Permission of mutual exchange may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty at the same station and to reside in their mutually exchanged residences at least six months from the date of approval of such exchanges.

25. **Transfer to non-family station.**—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by the Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bonafide educational needs of the children, he may be allowed on request to retain the residence on payment of licence fee under Fundamental Rule 45A till the end of current academic session of his children.

26. **Maintenance of residence.**—The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Factory Maintenance Section concerned. Such officer shall not grow any tree, shrub or plants contrary to the instructions issued by the said authority, nor cut or lop off any existing tree or shrub in any guarded courtyard or compound attached to the residence, save with the prior permission in writing of the authority aforesaid. Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule, may be caused to be removed by the allotting authority at the risk and cost of the officer concerned.

27. **Subletting and sharing of residences.**—Subletting in the sense of following anybody serving under the Government or otherwise either free of licence fee or on licence fee, shall not be permissible under any circumstances to any employee. If an allottee has sub-let his premises to any other person, either partly or wholly, he shall be liable to damages as chargeable from unauthorized occupants. He may also be subjected to departmental disciplinary action and/or eviction under the Public Premises (eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

28. **Consequences of breach of rules and conditions .**—If an officer to whom a residence has been allotted, unauthorisedly sublets the residence or charges licence fee from the sublettee or erects any unauthorized structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules or of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises for any purpose which the allotting authority considers to be improper or conducts himself in a manner which, in his opinion, is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with the

neighbours or creates ruckus or commotion or public nuisance in Defence Estate or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the allotting authority may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence. Apart from the action taken under these rules, the disciplinary authority also shall initiate departmental action under the disciplinary rule for imposing suitable penalty on grounds of unbecoming conduct of the Government employee under the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964.

Explanation.—In this rule, the expression "Officer" includes, unless the context otherwise requires, a member of his family and any person claiming through the officer.

29. **Discretionary power of allotting authority in case of breach of rules.**—Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer, at the discretion of the allotting authority, may be allotted another residence in the same class at any other place.

The allotting authority shall be competent to take all or any of the actions under these rules and also to declare the officer, who commits a breach of the rules and instructions issued to him, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

30. **Overstayal in residence after cancellation of allotment.**—Where after an allotment has been cancelled or deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or any person claiming through him, the officer shall be liable to damages for use and occupation of the residence, service, furniture and garden charges equal to the market licence fee/damages, as may be determined by the Government from time to time. In addition, the allottee shall be liable for eviction under the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

Provided that an officer in special cases may be allowed by the allotting authority to retain a residence on payment of twice the standard licence fee under the Fundamental Rule 45A for a period not exceeding six months beyond the normal period permitted under rule 19.

31. **Continuance of allotments made prior to the issue of these rules.**—Any valid allotment of the residence whch is subsisting immediatley before the commencement of these rules under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 15 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relating to that allotment and that officer accordingly.

32. **Allotment to certian relations in certain cases.**—(a) When a Government servant who has been allotted Government accommodation retires or is boarded out from service or dies while in service, his/her son, daughter, wife, husband or any near relation who is already serving in the establishment or who is given employment in that establishment on extreme compassionate ground be allotted Government accommodation on an ad hoc basis provided that the said relation has been sharing accommodation with the retiring or boarded out or deeased officer for at least six months before the date of retirement or boarding out or death. In the case of near relations, quarters may be allotted provided the General Manager is satisfied with the genuiness of the claim.

(b) The same residence may be regularized in the name of the relation, if he or she is eligible for a residence of that type or a higher type. In other cases the said relation may be allotted a residence of his or her entitlement type if available at the time, or failing that a type next below, if acceptable to the allottee.

33. **Interpretation of rules.**—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Chairman, Ordinance Factory Board.

34. **Relaxation of rules.**—The Chairman, Ordnance Factory Board may, for reasons to the recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or class of officer.

35. **Delegation of powers of function.**—The Chairman, Ordnance Factory Board may delegate all or any of the powers conferred upon him by these rules to any officer under his control subject to such conditions as he may deem fit to impose.

[File No. 4(1)/2001/I D (Fy.-II)]

PARHLAD RAI, Under Secy.

ANNEXURE—I

STATEMENT INDICATING THE REVISED FORMULA FOR FIXATION OF FLAT RATE OF LICENCE FEE APPLICABLE FOR DIFFERENT TYPES OF ACCOMMODATION

Type of accom-modation	Range of Living area (in sq. mt)	Existing flat rates	Revised flat rates of licence fee with effect from 1-4-2001	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Up to 30	20	23	Quarters sharing toilet facilities meant for more than two quarters.
	-do-	26	30	Quarters sharing toilet facilities meant for two quarters.
	-do-	46	53	Old quarters with plinth area less than 300 sq.ft.
	-do-	58	67	Quarters with plinth area of 300 sq. ft. or more.
II	More than 26.5 and up to 40	104	120	
	41 to 50	133	153	
III	More than 34.5 and up to 55	145	181	
	56 to 75	177	221	
IV	59 to 75	196	245	
	76 to 91.5	245	306	
D.II	Upto 106	289	434	
	Beyond 106	351	527	
D.I	Up to 159.5	430	645	
C.II	Beyond 159.5	514	771	
C.I	189.5 to 224.5	604	906	
VII	243 to 350	866	12,299	
VIII	350.5 to 522	1,274	1,911	

HOSTEL ACCOMODATION :

Category of suit	Living area (sq. mt.)	Existing rates (Rs.)	Revised rates with effect from 1-4-2001 (Rs.)
Single Suite	21.5 to 30	110	165
Single Suite	30.5 to 39.5	156	234
Double Suite	47.5 to 60	214	321

For servant quarters and garages allotted Independent of the regular accommodation/hostel, following flat rates may be recovered :—

		Existing rates	Revised rates from 1-4-2001
1.	Servant quarters	Rs. 20	Rs. 30
2.	Garages	Rs. 12	Rs. 18

Note :—These rates would be subject to a maximum ceiling of 10% of monthly emoluments of the allottee.

APPENDIX-II

YARDSTICK FOR DETERMINATION OF LIVING AREA

Main Building :

(a)	Rooms, Kitchen, Bath, Latrine, Store and enclosed Verandah		...	100% of the floor area
(b)	Verandah, Corridors and Barsati		...	25% of the floor area
(c)	Porch	...	...	12½% of the floor area
(d)	Courtyard pucca	...	...	5% of the floor area

Outhouses :

(a)	Rooms	...	...	25% of the floor area
(b)	Verandahs	...	...	12½% of the floor area

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

का.नि.आ. 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक समूह 'ग' और समूह 'घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्नि शमन कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' और 'घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारिवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 हैं।

(2) ये 10 अगस्त, 2000 को प्रवृत्त हुए समझे जाऐंगे।

2. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक समूह 'ग' और समूह 'घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय (अग्नि शमन कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में,

(i) फायरमैन श्रेणी-I के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ 4 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2750-70-3800-75-4400 रु."

(ii) फायरमैन श्रेणी-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ 4 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु."

स्पष्टीकारक ज्ञापन :—तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार फायरमैन श्रेणी-I और फायरमैन श्रेणी-II का वेतनमान क्रमशः 210-4-250-ईबी-5-270-रु. और 200-3-206-4-234-ईबी-4-250 था जिसे चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा उच्चत्तर पुनरीक्षित वेतनमान क्रमशः 825-15-900-20-1200 रु. और 800-15-1010-20-1150 रु. स्वीकृत किया गया था। तथापि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् 1976 के भर्ती नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतनमान, अर्थात् 2750-70-3800-75-4400रु. और 2650-65-3300-70-4000 रु. [दो वेतनमानों 2610-60-3150-65-3540 और 2650-65-3300-70-4000 रु. के विलयन के

पश्चात् 2610-65-3300-70-4000 रु. में परिवर्तित] के स्थान पर सामान्य प्रतिस्थापित वेतनमान [क्रमश: 2650-65-3300-70-4000 रु. और 2610-60-3150-65-3540 रु.] प्रकाशित किए गए थे। अत: फायरमैन श्रेणी-I का वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 रु. से 2750-70-3800-75-4400 और फायरमैन श्रेणी-II का वेतनमान 2650-50-4000 रु. से 2610-60-2910-65-3500-70-4000 रु. में संशोधित करने की आवश्यकता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि फायरमैन श्रेणी-I और फायरमैन श्रेणी-II के वेतनमानों में किया गया संशोधन किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

[फा. सं. ए/87255/आर आर/अग्नि/डी.जी.क्यू.ए./प्रशा. 10/1355/डी (क्यूए)/04]

डा. परविन्दर कौर, उप सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4 तारीख 30 सितम्बर, 2000 में का.नि.आ. 200 तारीख 10 अगस्त 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 29th September, 2004

S.R.O. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 'C' and 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance Group 'C' and 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Fire Fighting Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 10th day of August, 2000.

2. In the Schedule to the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 'C' and 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2000,—

(i) against serial number 4 relating to the post of Fireman Grade-I, under column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 2750-70-3800-75-4400";

(ii) against serial number 5 relating to the post of Fireman Grade-II, under column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000".

Explanatory Memorandum—The pay-scale of Fireman Grade-I and Fireman Grade-II as per the Third Central Pay Commission were Rs. 210-4-250-EB-5-270 and Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250 respectively which were granted higher revised scales of Rs. 825-15-900-20-1200 and Rs. 800-15-1010-20-1150 respectively by the Fourth Central Pay Commission. However, no amendment of the Recruitment Rules of 1976 was carried out after the Fourth Central Pay Commission. At the time of revising the recruitment rules after the Fifth Central Pay Commission, the normal replacement scales (Rs. 2650-65-3300-70-4000 and Rs. 2610-60-3150-65-3540 respectively) were published instead of the replacement scales of the revised scale i.e. Rs. 2750-70-3800-75-4400 and Rs. 2650-65-3300-70-4000 (changed to Rs. 2610-65-3300-70-4000 after merger of the two scales of Rs. 2610-60-3150-65-3540 and Rs. 2650-65-3300-70-4000). Hence the necessity to amend the pay scales of Fireman Grade-I from Rs. 2650-65-3300-70-4000 to Rs. 2750-70-3800-75-4400 and Fireman Grade-II from Rs. 2650-50-4000 to Rs. 2610-60-2910-65-3500-70-4000. It is certified that the amendment in the pay scales of Fireman Grade-I and Fireman Grade-II will not adversely affect anybody's interest.

[F. No. A/87255/RR/Fire/DGQA/Adm-10/1355/D(QA)/04]

D. R. PARVINDER KAUR, Dy. Secy.

Foot Note—The principal rules were published in the Part-II, Section IV sub-section of the Gazette of India dated the 30th September, 2000 *Vide* SRO 200 dated 10th August, 2000.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

का.नि.आ. 151.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि असम राज्य में सोनितपुर जिले के मिसमारी में गोलाबारूद प्लाटून के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, सोनितपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

रक्षा संकर्म अर्थात् असम राज्य में जिला के बाली खूटी बंगाली बहबरी/बारजूली ग्रांट, बारजूली-सोनाजूली बी : ग्रांट, नं. 2 भेलतार, बहबरी गांव, सोनाबिल गांव, बहबरी सोनाबिल गांव, नं. 1 भेलतार बहबरी-भेलतारी गांव, धंकारता, लखोपारा, बालसिरी, बेलतोरार, बारबिल तथा रामनाथपुर में मिसबारी में गोलाबारूद प्लाटून की बाहरी प्राकार से दो हजार गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[रक्षा मंत्रालय सं. ए/49112/एल डब्ल्यू (पूर्व)/1446/डीओ(वी)/रक्षा (भूमि)/04]

ललित चौहान, अवर सचिव

New Delhi, the 29th September, 2004

S.R.O. 151.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clauses (a) to (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of Ammunition Platoon, at Missamari, in the District Sonitpur in the State of Assam in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Sonitpur.

SCHEDULE

All land comprised in the area lying within the distance of two thousands yards from the crest of the outer parapet of the works of defence, namely, Ammunition Platoon, at Missamari situated at villages namely, Bali Khuti Bangali, Bahbari/Barjuli Grant, Barjuli-Sonajuli B; Grant, No. 2 Bheltar, Bahbari village, Sonabil Gaon, Bahbari Sonabil village, No. 1 Bheltar Bahbari-Bheltari village, Dhankarta, Lakhopara, Balsiri, Belatoir, Barbil and Ramnathpur, Distt Sonitpur in the State of Assam.

[Ministry of Defence No. A/49112/LW(East)/1446/DO(V)/D(L)/04]

LALIT CHAUHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

का.नि.आ. 152.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि असम राज्य के तहसील और जिला कामरूप में नारंगी में स्थित 14 फील्ड गोलाबारूद डिपो के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (क) से (ग) में अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, कामरूप के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् तहसील और जिला कामरूप में नारंगी में पंजाबाड़ी, बाघरबाड़ी, जांसीमलो, जोरघट, तलतला, धारान्दा, हेंगराबाड़ी और सतगांव नामक गांव में स्थित 14 फील्ड गोलाबारूद डिपो के बाहरी दीवार के किनारे से दो हजार गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[रक्षा मंत्रालय सं. ए/49112/एल डब्ल्यू (पूर्व)/1464/डीओ(वी)/रक्षा (भूमि)/04]

ललित चौहान, अवर सचिव

New Delhi, the 29th September, 2004

S.R.O. 152.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clauses (a) to (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of 14 Field Ammunition Depot, at Narangi situated in the Tehsil and District of Kamrup in the State of Assam, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Kamrup.

SCHEDULE

All land comprised in the area lying within the distance of two thousands yards from the crest of the outer parapet of the works of defence, namely, 14 Field Ammunition Depot, at Narangi situated at villages namely Panjabari, Bagharbari, Jansimalo, Jorabat, Taltala, Dharandha, Hengrabari and Satgaon, Tehsil and District of Kamrup in the State of Assam.

[Ministry of Defence No. A/49112/LW(East)/1464/DO(V)/D(L)/04]

LALIT CHAUHAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.